बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/कृ०शि०को०–09/2018– 1541 /कृ0, पटना, दिनांक 27/03/2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

विषय : **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर में भूमिगत विद्युत केबुल एवं वाटर पाइप के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 1203.00 लाख (बारह करोड़ तीन लाख) रू० सहायक अनुदान की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर में भूमिगत विद्युत केबुल एवं वाटर पाइप के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 1203.00 लाख (बारह करोड़ तीन लाख) रू० सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में भूमिगत विद्युत केबलिंग से विद्युत आपूर्ति सुगम होगा तथा जोखिम की संभावना कम होगी। विश्वविद्यालय द्वारा जल आपूर्ति हेतु वाटर टैंक तथा भूमिगत जल पाईप की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है। विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति के बाद ही योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत राशि के अधीन किया जायेगा।

3. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्न के अधीन विकलनीय होगा, **(राशि लाख रू० में)**

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01– फसल कृषि–कर्म, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0108– बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415012770108, विषय शीर्ष–0108.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों का निर्माण।	8494.27454	998.49
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि–कर्म, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–1, उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415017890103, विषय शीर्ष–0103.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों का निर्माण।	1637.52208	192.48
मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि–कर्म,लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–1, उपशीर्ष– 0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–01–2415017960104, विषय शीर्ष–0104.31.05, सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों का निर्माण।	102.34138	12.03
कुल	**10234.13800**	**1203.00**

C:\Users\a\Desktop\praveen\BAU Plan (Electric & Plumbing).docx

4. वर्ष 2017–18 में राशि की निकासी नहीं होने पर राशि की विमुक्ति वर्ष 2018–19 में बजट उपबंध के अधीन की जा सकेगी। विश्वविद्यालय द्वारा ससमय योजना का कार्यान्यवन किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि 1203.00 लाख (बारह करोड़ तीन लाख) रूपये की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

6. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. विश्वविद्यालय स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

9. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि की स्वीकृति दिनांक 25.03.2018 को संचिका संख्या–4/कृ०शि०को०– 09/2018 के पृ0सं0–5/टि. पर प्राप्त है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 4/कृ०शि०को०–09/2018 के पृ0सं0–7/टि. पर दिनांक– 27.03.2018 को प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.3.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

C:\Users\a\Desktop\praveen\BAU Plan (Electric & Plumbing).docx

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को०.–09/2018– 1541 /कृ0, पटना, दिनांक 27/03/ 2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को०.–09/2018– 1541 /कृ0, पटना, दिनांक 27/03/ 2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को०.–09/2018– 1541 /कृ0, पटना, दिनांक 27/03/ 2018

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4/कृ०शि०को०.–09/2018– 1541 /कृ0, पटना, दिनांक 27/03/ 2018

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग), बिहार, पटना/बजट प्रभारी, कृषि विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

27.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-1

50.(105)

निदेशालय, कार्य एवं संयंत्र
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर

का॰ आ॰ सं॰ 1963 / नि॰ का॰ एवं सं॰ / बि॰ ए॰ यू॰, सबौर

दिनांक 20 / 03 / 2018

प्रेषकः— निदेशक, कार्य एवं संयंत्र
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर।

सेवा में,

अनिल कुमार झा,
उपनिदेशक (शष्य)—सह—प्रभारी पदाधिकारी,
कृषि शिक्षा, कोषांग।

विषयः— वित्तीय वर्ष 2017—18 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के योजनान्तर्गत सहायक अनुदान मद में राशि स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः— ज्ञापांक संख्या 4 / कृ॰ शि॰ को॰—09 / 2018 / 7130 / कृ॰ पटना, दिनांक 27.02.2018

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के भूमिगत विधुत केबुल एवं वाटर पाईप के सुदृढ़ीकरण हेतु 15.67 करोड़ रुपये का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। भवदीय के द्वारा उसका तकनीकी अनुमोदन कराकर उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। मुख्य अभियंता (दक्षिण) को 12.03 (बारह करोड़ तीन लाख) का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन भेज दिया गया है। उसकी एक प्रति राशि की स्वीकृति हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त राशि को स्वीकृति हेतु अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा करें।

निदेशक, कार्य एवं संयंत्र,
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर।

59/104

Name of work :-Estimate for E/I work of under ground cabling of HT & LT Line and strentregthning of water supply at B.A.U, Sabour

Sl. No	SOR. Ref.	Item of work	Unit	Qty.	Rate	Amount.
		Part A (Electrical work)				
		Electrical work (Under ground cabling of HT & LT line of Acadmic & Residential complex)				**81177000.00**
					Toatal	**81177000.00**
		Part B (Civil work)				
1	Analysis based on SOR rate	Tranch cutting for HT & LT three phase line	Mtr.	1500.0	5222.00	7833000.00
2	Analysis based on SOR rate	Transformer platform	Each	13	77000.00	1001000.00
3	Analysis based on SOR rate	Construction of pannel base platform	Each	39	2677.00	104403.00
4	Analysis based on SOR rate	Construction of pole collar	Each	300	2309.00	692700.00
5	18.12.7	65 dia G.I pipe	Mtr.	305	515.10	157105.50
6	18.12.8	80 dia G.I pipe	Mtr.	100	633.60	63360.00
				Total		**9851568.50**
		Part C (Strenthing of water supply system)				
		Sinking of tube well 450 X 300(3 Numbers)			684719*3	2054157
		installation of motor pump and transformer and power wiring(3 Numbers)			615175*3	1845525
		Construction of pump house(3 Numbers)			318400*3	955200
		Proposed estimate for external water supply in residential area				18333814
		Proposed estimate for external water supply in Acadamic area				6071355
					Total	**29260051.00**
				Part (A+B+C) Grand Total		**120288619.50**

J.E.E 20/03/18
B.A.U, Sabour

For A.E.E. 29/03/2018
B.A.U, Sabour

Executive Engineer (Civil) 29/3/2018
B.A.U, Sabour

2/7/18

TECHNICAL REPORT

An estimate for E/I work of under ground cabling for over head HT & LT Line of residential and academic complexat B.A.U, Sabour, Bhagalpur (Bihar) an amounting to Rs 9,10,28,568.00 (**Nine crore ten lakh twenty eight thousand five hundred sixty eight)** only as per site requirement & as per requisition 133/TC B.A.U Sabour

This estimate has been prepared for electrical work on the basis of current S.O.R. – 2016 Building Construction department, CPWD rate and for civil work the basis of rate is based on SOR effective from 17.10.2016

This estimate has been farmed for provision HT 11 kv 3 core 185 sq.mm, LT 3.5 core 300 sq.mm, 120 sq. mm, 70 sq.mm, 50 sq.mm, 35 sq.mm, 25 sq.mm, 4 core 16 sq,mm 2 core 16 sq. mm, 400 Amps AB switch,street light, electrical cubical panel tranches, panel foundation transformer platform etc.

This estimate is submitted for necessary action.

20/03/18
Junior Engineer (Elec.)
B.A.U., Sabour

for 20/3/2018
Asstt. Engineer (Elec.)
B.A.U., Sabour

20/3/2018
Executive Engineer(C)
B.A.U., Sabour

20/03/18